

अधिसूचना

संख्या-वन्य-प्राणी 2/2003-762(3) पठना 15, दिनांक 13-11-2003.

वन्य-प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 का 53वाँ

संशोधित 2002 की धारा-18<sup>बी</sup> के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य के सभी वन संरक्षकों को उनके कार्य क्षेत्र में पड़नेवाली आश्रयणियों के संदर्भ में वन्य-प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 19 से 25 के अन्तर्गत सभी कार्रवाई संपादित करने हेतु "समाहर्ता" की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

2- पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा ज्ञाते सम्बन्धित पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 114 की वरिष्ठ दिनांक 3-2-1997 को तत्काल प्रभाव से अवक्रमित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

12/11/03  
पी.सी. शर्मा

सरकार के उप सचिव।

अशोक

ज्ञापांक वन्य-प्राणी 2/2003-762(3) पठना 15, दिनांक 13-11-2003,

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2- अनुरोध है कि ज्ञाते राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराकर इसकी सौ प्रतियाँ विभाग को प्रेषित की जाय।

11/11/03  
पी.सी. शर्मा

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक वन्य-प्राणी 2/2003-762(3) पठना 15, दिनांक 13-11-2003.

प्रतिलिपि- सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

13/11/03  
पी.सी. शर्मा

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक वन्य-प्राणी 2/2003-762(3) पठना 15, दिनांक 13-11-2003.

प्रतिलिपि- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना/मुजफ्फरपुर/सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/11/03  
पी.सी. शर्मा